

नम्बर ...
अडकाम जो ...
हुक्म की ...
में जारी है

हुक्म या कार्यवाही मय नगिरायत्स जज

तारीख
हुक्म

13-6-17

पत्रावली कोष... सुरास... को पेश हुई।
आगामी दिनांक... 16-11-17... को पेश हो।
20 को डालकर यथावत रखा। 20

16-11-17

पत्रावली पेश हुई। दस्तीम प्राचीण उपस्थित नहीं।
दस्तीम सिपरी नं० 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 व 9 उपस्थित। प्राचीण
व प्राचीण के दस्तीम को कितनी ही मर्तब किश्तत
कावाक दिलाई जात है उपरोक्त भी काम 5-15 PM तक
उपस्थित नहीं होने के कारण प्राचीण का प्रार्थना पत्र
रकत हाजरी व रकत पत्रों के स्वारीज किया जाया है।
पत्रावली के काम सुचारु भी जाऊँ इस वाद के काम के साथ
ही जावे। प्रकरण. 8

उपखण्ड अधिकारी

माण्डल
इतना लिखत पर प्राचीण भी डोर के त्रिभुज पर
सी कलमना 1140 को प्राणी, एडवोकेट के इस वाद के
प्रस्तुत किया। जिके शास्त्रिम पत्रावली दिया गया।
दारत प्रार्थना पत्र 07/11 व चाना 15/11 जा. सी. के जवाब
कलक, सिपरी नं० 3 जी व लकी तथा सिपरी नं० 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8 के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 11-1-18 को
पेश है। 8

11-1-18

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है अस्काश पर है / पवस्थित है।
अतः पत्रावली दिनांक 11-1-18 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

1-6-18

पत्रावली कोष...
आगामी दिनांक...
20 को डालकर यथावत रखा। 20

पत्रावली राजस्व लोक अदालत व्याय आपेहार केम्प गाम
सुरास में पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित। मूल वाद
पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत स्वारिज किये जाने कारण विविध
प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने से स्वारिज किया जाता है। पत्रावली
केवल सुचारु होकर सम्भर से कम हो। प्रार्थना पत्र मूल वाद पत्र
के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

रिपोर्ट
1/23
दिनांक